

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/80/2018

तारीख रजु 27.07.2018

उनवान

मानसिंह पुत्र गिराज जाति गुर्जर, वगैरह निवासी पनबेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
—वादीगण(02)

बनाम

सोहनलाल उर्फ गब्बरसिंह पुत्र परभाती जाति गुर्जर वगैरह निवासी पनबेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादी(03)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री मुरारि लाल करसौलिया एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।


निर्णय

दिनांक 23.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम पनबेडा तहसील हिण्डौन के खसरा न. 727, 560, 518, 556, 557, 696, के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 23.01.2020 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 80/2018 मानसिंह बनाम सोहनलाल वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


23.01.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

